



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268231  
CG-DL-E-04122025-268231

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5412]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947

No. 5412]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5600(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "अजमेर विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALS0528D) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का अधिनियम संख्या 39) के द्वारा, गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी बशर्ते, कि निर्धारिती अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 39, 2013) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे, जिसका आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजन हैं।

[अधिसूचना सं. 168 /2025/फा. सं. 300195/26/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2025

**S.O. 5600(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Ajmer Development Authority” (PAN: AAALS0528D) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Ajmer Development Authority, Act, 2013 (Act No.39 of 2013), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Ajmer Development Authority, Act, 2013 (Act No.39 of 2013), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 168 /2025/F.No.300195/26/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.